न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 150/2019

हनुमानराम पुत्र शोभाराम व अन्य
बनाम
तुलछाराम पुत्र फुलाराम वगैरा

दिनांक 18-.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रकरण सं0 30/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–तुलछाराम वल्द फूलाराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील गुडामालानी स्थित ग्राम बारासण के ख0नं0 614/5, 614/6 एवं ख0नं0 914/1, 614/7 व 614/8 की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–विप्रार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–तुलछाराम को जारी रजिस्टर्ड सम्मन की डाक रसीद दिनांक 06.12.2020 फर्द तलबाना के साथ शामिल पत्रावली है, जो स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध बहस एकतरफा सुनी गई।

वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–प्रार्थी–तुलछाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र स्वयं के खातेदारी ख़सरा नम्बर ही अभिलिखित किए गये, पडौसी खातेदारों की भूमि के खसरा नम्बर अंकित नही किए गये। इससे प्रार्थना पत्र में जिनको पक्षकार बनाया गया है, उनकी भूमि पडौस में स्थित है या नही पत्रावली पर स्थिति स्पष्ट नही है। इसके अलावा रेस्पो0 व अपीलार्थी की कृषि भूमि की सीमा रेखा पर पहले से ही माठ बनी हुई है, जो स्वयं रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित है, इसलिए धारा 111 व 128 आरएलआर एक्ट का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के उपयोग में बाधा पहुंचाने का

उल्लेख किया गया है, जिसके लिए वह धारा 188 आरटी एक्ट के तहत स्थायी निशेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकते थे। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर नही दिये बिना, वर्षा ऋतु में पारित किया गया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 14.06.2018 में वादग्रस्त खसरान की भूमि का वक्त सीमांकन मौके पर रेस्पो0–प्रार्थी–तुलछाराम वल्द फूलाराम ही हाजिर मिलने तथा रेकर्ड व मौके कब्जे में भूमि पूर्ण नही होने का उल्लेख है। इससे प्रतीत है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त तथ्यों का अवलोकन नही किया गया, कि जब रेकर्ड व मौके कब्जे में भूमि ही पूर्ण नही है, तो अंतर्गत धारा 111 व 128 आरएलआर एक्ट के तहत नेखमबंदी का आदेश पारित किया जाना विधिअनुकूल नही है, बल्कि इसका निस्तारण नियमित वाद द्वारा संभव है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाडमेर) द्वारा प्रकरण सं0 30/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2019 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 18.**11.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

18.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर